

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या 1029/2011/बीकानेर
2. अपील संख्या 1030/2011/बीकानेर

मैसर्स मुकेश एजेन्सी,
फड़ बाजार, बीकानेर
बनाम

.....अपीलार्थी.

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, बीकानेर

.....प्रत्यर्थी

3. अपील संख्या 1483/2012/बीकानेर
4. अपील संख्या 1485/2012/बीकानेर

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, बीकानेर
बनाम

.....अपीलार्थी.

मैसर्स मुकेश एजेन्सी,
फड़ बाजार, बीकानेर

.....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ

श्री के.एल.जैन, सदस्य
श्री ओमकार सिंह आशिया, सदस्य

उपस्थित :

श्री अनिल पोखरणा
उप-राजकीय अभिभाषक
श्री अलकेश शर्मा, अभिभाषक

.....विभाग की ओर से
.....व्यवहारी की ओर से

दिनांक :- 09.03.2018

निर्णय

1. ये अपीलें क्रमशः अपीलार्थी व्यवहारी एवं राजस्व द्वारा अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, बीकानेर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.02.2012 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी हैं, जिसमें वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, बीकानेर (जिसे आगे 'सक्षम अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) के अन्तर्गत पारित आदेशों में सृजित मांग राशियों में से अपीलीय अधिकारी द्वारा कर एवं ब्याज की पुष्टि किये जाने को व्यवहारी द्वारा एवं शास्ति अपास्त करने के बिन्दु को राजस्व द्वारा विवादित किया गया है। अपीलीय आदेशों एवं कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र. सं.	अ.सं.	अपी.अधि. की अ.सं.	वर्ष	क.नि.आ. दि.	कर	ब्याज	शास्ति
1	1029/12	250/आरवेट	2009-10	12.07.11	1,10,387	20,974	-
2	1030/12	251/आरवेट	2010-11	12.07.11	2,36,498	16,555	-
3	1483/12	250/आरवेट	2009-10	12.07.11	-	-	2,20,775
4	1485/12	251/आरवेट	2010-11	12.07.11	-	-	47,204

2. प्रस्तुत चारों अपीलों में विवादित बिन्दु समान होने के कारण इनका निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जावे।

31

AP

निरन्तर.....2

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सक्षम अधिकारी द्वारा व्यवहारी की फर्म का सर्वेक्षण करने पर पाया कि उसके द्वारा विक्रीत उत्पादों के विक्रय हेतु जारी इच्चौयस में कैण्डी वर्णित कर 4/5 प्रतिशत से कर चुकाया गया है, जबकि व्यवहारी का उत्पाद कन्फेक्शनरी होने के कारण उस पर आलौच्य अवधि में 12.5/14 प्रतिशत कर चुकाया जाना चाहिये था। सक्षम अधिकारी ने आलौच्य अवधियों में व्यवहारी द्वारा विक्रीत माल "ब्राण्डेड कन्फेक्शनरी" की श्रेणी में आने तथा वैट अनुसूची-चतुर्थ के तहत अधिसूचित नहीं होने एवं वैट अनुसूची-पंचम के तहत सामान्य कर दर से करयोग्य होना मानते हुये, व्यवहारी द्वारा किये गये कृत्य को करापवंचन की श्रेणी में पाया तथा अन्तर कर, ब्याज तथा धारा 61 के अंतर्गत शास्ति का आरोपण किया।
4. सक्षम अधिकारी ने पत्रावलियों, उपलब्ध रिकॉर्ड व प्रोडक्ट्स का अवलोकन किया, जिसमें पाया कि व्यवहारी द्वारा मैसर्स परफेटी वेन मिले (इंडिया) प्रा० लि० एवं मैसर्स पारले बिस्किट्स प्रा० लि० द्वारा उत्पादित ब्रॉण्डेड कन्फेक्शनरी विक्रय की जा रही थी। व्यवहारी द्वारा उक्त विक्रीत माल पर 4/5 प्रतिशत से कर संग्रहीत करते हुए राजकोष में जमा कराया गया है। सक्षम अधिकारी ने यह भी पाया कि व्यवहारी द्वारा विक्रीत माल पर ट्रेडमार्क चिन्ह अंकित होना उनके प्रोडक्ट के लिये रजिस्टर्ड ट्रेड मार्क को इंगित करता है, अतः विक्रीत माल ब्रान्डेड कन्फेक्शनरी है। अतः प्रश्नगत माल आलौच्य अवधियों में अनुसूची-पंचम के तहत सामान्य कर दर से करयोग्य माल होने के बावजूद व्यवहारी अपीलार्थी द्वारा गलत निर्वचन करते हुए बिक्री विवरणियों में कर दर की गलत घोषणा कर राजकोष में कम कर अदा करना पाये जाने तथा इसे परिवर्जन व अपवंचन का प्रमाणित प्रकरण पाये जाने पर सक्षम अधिकारी ने व्यवहारी को अधिनियम के तहत नोटिस जारी किये एवं प्रस्तुत जवाबों से अंसतुष्ट होते हुये अन्तर कर, ब्याज व शास्तियों का आरोपण किया गया। उक्त आदेशों से व्यक्तित्व होकर व्यवहारी द्वारा अपीलें अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपीलीय अधिकारी ने शास्ति के बिन्दु पर व्यवहारी की अपीलें स्वीकार करते हुये अन्तर कर व ब्याज के बिन्दु पर अपीलें अस्वीकार कर दी गई। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेशों से व्यक्तित्व होकर व्यवहारी द्वारा अन्तर कर व ब्याज के बिन्दुओं पर तथा राजस्व द्वारा शास्तियों के बिन्दु पर ये अपीलें अधिनियम की धारा 83 के तहत कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं।
5. उभयपक्षीय बहस सुनी गई।
6. व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि उनके द्वारा विक्रय किया गया उत्पाद वैट अनुसूची-चतुर्थ की प्रविष्टि संख्या 163 के तहत आता है तथा उसी के अनुसार व्यवहारी ने कर संग्रहीत करते हुए राजकोष में जमा कराया गया है। राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 01.06.2006 द्वारा अनुसूची-चतुर्थ में नई प्रविष्टि संख्या 163 जोड़ी गई तदनुरूप 'Sugar candy made of sugar and glucose but excluding coco' जिसके अनुसार विक्रीत उत्पाद इस श्रेणी के होने के कारण तदनुसार 4/5 प्रतिशत कर संग्रहीत करके जमा

31

✓

निरन्तर.....3

कराया गया। उनके द्वारा यह भी कथन किया गया कि अनुसूची-चतुर्थ की प्रविष्टि संख्या 163 में All type of sugar candy सम्मिलित है तथा 'Coco' से निर्मित केण्डी इसमें सम्मिलित नहीं है। विधायिका ने Sugar candies made of sugar and glucose and containing flavours, cream and colors को स्पष्टतः पृथक नहीं किया है। साथ ही उन्होंने कथन किया कि व्यवहारी के उत्पाद प्राथमिक रूप में Sugar & Glucose से बने हैं जिनमें नाम मात्र के Flavouring Substances, Emulsifiers and colorants होते हैं। विद्वान अभिभाषक ने सीटीओ बनाम हीरालाल मुरलीधर 1993 टैक्स वर्ल्ड 32 सैक्शन-1 का निर्णय उद्धरित किया जिसमें मीठी गोली जिसमें 90 प्रतिशत शुगर हो, को कन्फैक्शनरी नहीं बल्कि शुगर केण्डी माना है। विद्वान अभिभाषक ने मैसर्स अशोक एन्टरप्राईजेज, कोटा के प्रकरण में अतिरिक्त आयुक्त, वाणिज्यिक कर, राज. द्वारा आरएसटी एकट, 1954 की धारा 12A के अंतर्गत आदेश दिनांक 02.01.1989 का दृष्टान्त देते हुए बताया कि उक्त विनिश्चयन (Determination) में Lozenges Toffee को मीठी गोली माना गया है तथा उक्त विनिश्चय विभाग पर बाध्यकारी होना बतलाया है। अधिकारी ने समस्त माल को ब्राण्डेड कन्फैक्शनरी मानकर सामान्य कर दर तथा ब्याज आरोपित कर दिया जो कि उक्त अधिसूचना के आलोक में विधिनुकूल नहीं है, अतः उन्होंने व्यवहारी की अपीलें स्वीकार करने तथा विभाग की अपीलें अस्वीकार करने की प्रार्थना की।

7. राजस्व की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 19.04.2006 द्वारा अनुसूची-चतुर्थ की प्रविष्टि संख्या 154 जोड़ी गई थी जो निम्न प्रकार से थी :-

"154 unbranded bakery products including cookies, cakes and pastries, confectionery excluding chocolates "

8. दिनांक 08.05.2006 की अधिसूचना द्वारा Confectionery के पूर्व में "unbranded" शब्द जोड़ा गया है जिसका तात्पर्य यह हुआ कि ब्राण्डेड कन्फैक्शनरी स्वतः ही प्रविष्टि संख्या 154 से बाहर हो गई एवं अनुसूची-पंचम के अनुसार सामान्य कर दर से कर योग्य हो गई। उन्होंने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.02.2017 मैसर्स परफेटी वैन मेले इण्डिया प्रा. लि. बनाम सरकार प्रकरण संख्या 473/2011 एवं अन्य को उद्धरित करते हुए बताया कि समान तथ्यों पर आधारित प्रकरणों में ब्राण्डेड कन्फैक्शनरी की बिक्री पर आरोपित सामान्य कर दर एवं आरोपित ब्याज की पुष्टि की गई है। अतः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय इन प्रकरणों पर पूर्णतया आच्छादित होने से कर व ब्याज की पुष्टि करने तथा शास्ति अपारत करने संबंधी अपीलीय आदेश को निरस्त करने की प्रार्थना करते हुए उन्होंने विभाग द्वारा प्रस्तुत अपीलों को स्वीकार करने तथा व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार करने का निवेदन किया है।
9. उभयपक्षीय बहस सुनी गई तथा उपलब्ध रेकार्ड एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का सम्मान अध्ययन किया गया। प्रस्तुत प्रकरणों में मुख्य विवादित बिन्दु यह है कि व्यवहारी द्वारा माल राज्य के भीतर विक्रीत माल ब्राण्डेड कन्फैक्शनरी है या नहीं तथा इस पर कर दर क्या होगी ?

निरन्तर.....4

10. सक्षम अधिकारी ने व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधियों में विक्रीत माल अधिनियम की अनुसूची-IV की प्रविष्टि संख्या 163 "Sugar Candy made of sugar & Glucose but excluding coco" के अनुसार 4/5 प्रतिशत कर देयता का माल नहीं होकर Sugar and Glucose के अलावा अन्य खाद्य सामग्री की Mixing and Blending सिस्टम से निर्मित ब्राण्डेड उत्पाद की बिक्री होने से व्यवहारी द्वारा विक्रीत माल अनुसूची-चतुर्थ की प्रविष्टि संख्या "154 unbranded bakery products including cookies, cakes and pastries, confectionery excluding chocolates" से इतर ब्राण्डेड कन्फेक्शनरी की बिक्री पाई गई है। अनब्राण्डेड कन्फेक्शनरी अधिसूचना दिनांक 08.05.2006 के अनुसार विचाराधीन अवधि में 4/5 प्रतिशत की दर से करयोग्य है परन्तु इस अधिसूचना के प्रभाव से ब्राण्डेड कन्फेक्शनरी सामान्य कर दर से करयोग्य हो गई। अतः व्यवहारी द्वारा की गई ब्राण्डेड कन्फेक्शनरी की बिक्री होना सिद्ध होता है। सक्षम अधिकारी व अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश में समस्त तथ्यों को विस्तृत रूप से विवेचित करते हुये व्यवहारी द्वारा की गई विवादित बिक्री को ब्राण्डेड कन्फेक्शनरी प्रोडक्ट की ही बिक्री निर्धारित की गई है। इस संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा समान तथ्यों पर आधारित विवादित कन्फेक्शनरी की बिक्री के सम्बन्ध में एसबी एसटीआर/रेफरेंस संख्या 473/2011 मैसर्स परफेटी वैन मेले इण्डिया प्रा० लि०, जयपुर व अन्य बनाम उपायुक्त (अपील्स) तृतीय व अन्य, निर्णय दिनांक 17.02.2017 के पैरा संख्या 17 एवं 19 में यह अभिनिर्धारित किया है कि :-

"17. Taking into consideration the judgment of this court in the case of M/s. Heera Lal Murlidhar (*supra*), where this court has taken into consideration the meaning of "confectionery" from various dictionaries, as reproduced hereinbefore, it would show that the AO had taken into consideration that the products manufactured by the assessee are produced on account of constant mixing and blending with various ingredients and these are hardened sweet confectionery which are prepared by mixing various ingredients. Applying the test as laid down by this court in the case of M/s Heera Lal Murlidhar (*supra*), a sugar candy or Meethi Goli which was considered by this court contains purely lumps of sugar and nothing more, whereas in the instant case it is merely not sugar but many more ingredients are added to it. These are essentially toffees or other products and cannot fall purely as a Sugar Candy containing majority of sugar. "

"19. In my view, applying the common parlance test which has been held appropriate by the Apex court time and again in matters like this, the products in which the assessee are dealing, are certainly branded toffees. Taking into consideration the aforesaid reasoning of the Apex court as well as by this court (*supra*), in my view the finding reached by all the three authorities in unison is well reasoned and no interference is required to be taken into consideration and accordingly while the tax is upheld and consequently the interest being consequential, is also upheld."

31

निरन्तर.....5

11. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का उपरोक्त निर्णय व्यवहारी द्वारा विक्रीत माल/समान प्रकृति के माल ब्राण्डेड कन्फेक्शनरी की बिक्री के सम्बन्ध में ही है, जो हस्तगत प्रकरणों में पूर्णतः लागू होने से अन्तर कर व ब्याज के बिन्दु पर सक्षम अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों की पुष्टि की जाती है।
12. जहां तक शास्ति का प्रश्न है, वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम दुर्गेश्वरी फूड लिंग (12) 32 टीयूडी पृष्ठ 3, वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम बम्बीनो एग्रो इण्डस्ट्रीज लिंग (2016) 90 वीएसटी पृष्ठ 22 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा श्री कृष्णा इलेक्ट्रिकल्स बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडू व अन्य (2009) 23 VST 249 (SC) के प्रकरण में पारित निर्णय 21.04.2009 दृष्टवय है, जिसके संदर्भित अंश निम्न प्रकार हैं :—

"So far as the question of penalty is concerned the items which were not included in the turnover were found incorporated in the appellant's account books. Where certain items which are not included in the turnover are disclosed in the dealer's own account books and the assessing authorities includes these items in the dealers' turnover disallowing the exemption penalty cannot be imposed. The penalty levied stands set aside."

13. चूंकि उक्त प्रकरण वस्तुओं के वर्गीकरण से सम्बन्धित था, एवं इनमें समस्त संव्यवहार लेखा पुस्तकों में घोषित थे अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के आलोक में जबकि व्यवहारी ने समस्त बिक्री विवरणियों में दर्शायी है, शास्ति आरोपण उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः आरोपित शास्तियों को अपीलीय अधिकारी ने अपास्त कर कोई त्रुटि कारित नहीं की गई है, तदनुरूप इस बिन्दु पर अपीलीय अधिकारी के आदेशों की पुष्टि की जाती है एवं राजस्व की अपीलें अस्वीकार की जाती हैं।
14. उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेशों में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है, अतः अपीलीय अधिकारी के आदेशों की पुष्टि करते हुए कर एवं ब्याज के बिन्दु पर व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार किया जाता है तथा शास्ति के बिंदु पर राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपीलें अस्वीकार की जाती हैं।
15. परिणामस्वरूप अपीलीय अधिकारी के आदेशों की पुष्टि करते हुए व्यवहारी एवं राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपीलें अस्वीकार की जाती हैं।

निर्णय सुनाया गया।

(ओमकार सिंह आशिया)
सदस्य

(के.एल.जैन)
सदस्य